

छत्तीसगढ़ शासन  
वित्त एवं योजना विभाग  
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय-रायपुर

क्रमांक 148/वित्त/नियम/चार/12  
प्रति,

रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल, 2012

शासन के समस्त विभाग  
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर  
समस्त विभागाध्यक्ष  
समस्त संभागायुक्त  
समस्त जिलाध्यक्ष  
छत्तीसगढ़ ।


**विषय:-**राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों तथा राज्य शासन से अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की अधिवार्षिकी आयु में वृद्धि ।

**संदर्भ:-**वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 146 / 136 / वित्त/नियम/ चार/12 दिनांक 28 अप्रैल, 2012.

-----

छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) (संशोधन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 12 सन् 2012) द्वारा राज्य शासन के उच्च शिक्षा संस्थानों में कार्यरत क्लास रूम टीचिंग में लगे शिक्षकों की अधिवार्षिकी आयु में दिनांक 1.4.2012 से वृद्धि की जाकर 62 वर्ष के स्थान पर 65 वर्ष की गई है । इस विषय में वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापन द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं ।

2. राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि उक्त ज्ञापन राजकीय विश्वविद्यालयों के शिक्षण विभाग एवं इन विश्वविद्यालयों के महाविद्यालयों तथा राज्य शासन से शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों हेतु भी समान शर्तों पर लागू की जावे । विश्वविद्यालयों द्वारा अपने अधिनियम/परिनियम/अध्यादेश/विनियम में यथा आवश्यक संशोधन कर लिया जाये ।



(एस.के.चक्रवर्ती)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

**प्रतिलिपि:-**

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय ।
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर ।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, उच्च न्यायालय बोदरी, पोस्ट ऑफिस-हाई कोर्ट ब्रांच, बिलासपुर (छ0ग0) पिन कोड-495220 ।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर ।
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर ।
9. प्रमुख सचिव वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर ।
10. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर ।
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली ।
12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर ।
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
14. आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर ।
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ ।
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़ ।
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़ ।
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ ।
21. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर की ओर वित्त विभाग की वेबसाइट **[www.cgfinance.nic.in](http://www.cgfinance.nic.in)** में अपलोड करने हेतु ।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।



विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग